जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर

क्रमांकः प्रशा0/स्था0/2021/4839 दिनांक : 23/12/21

// कार्यालयीन आदेश //

कोविड महामारी की तृतीय लहर आने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुये जिलाधीश, जिला–ग्वालियर के अनुपालन में आदेशित किया जाता है कि कोविड महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये निम्नांकित व्यवस्थायें तत्काल रूप से सुनिश्चित की जायें:–

1. प्रत्येक विभाग में आने वाले शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी छात्र/छात्रायें अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करें।
2. समस्त विभागों में मुख्य प्रवेश द्वार पर सेनेटाईजर अनिवार्य रूप से सभी के उपयोगार्थ उपलब्ध कराये जावें।
3. कार्यालय एवं अध्ययनशालाओ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये स्टाफ एवं छात्र/छात्राओं के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
4. समस्त स्टाफ एवं छात्र/छात्रायें अनिवार्य रूप से कोविड टीकाकरण करावें एवं तत्संबंधी प्रमाण–पत्र लेकर ही विश्वविद्यालय में आवें ताकि प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उनका अवलोकन कराया जा सके।
5. यदि किसी स्टाफ मेम्बर अथवा छात्र/छात्रा में कोविड के लक्षण प्रतीत होते हैं तो वे तत्काल एवं अनिवार्य रूप से अपना टेस्ट करायें।
6. विश्वविद्यालय में आने वाले आगंतुकों को भी उक्त आदेश का पालन करते हुये कार्यालय में प्रवेश दें।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/विभागअधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उनके नियंत्रणाधीन भवन/कक्ष में प्रति सप्ताह कम से कम एक बार सम्पूर्ण रूप से सेनेटराईजेशन होता रहें।

उक्त आदेश का अनिवार्य रूप से पालन किया जाये।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/अधिकारी जी.वि.वि.ग्वालियर।
2. समस्त अनुभाग अधिकारी एवं अधीक्षक, जी.वि.वि.ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव,जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर।
4. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर।
5. श्री संजय बरतरिया, विश्वविद्यालय की बेबसाइड पर अपलोड करने हेतु।

प्रभारी